18. परीक्षा का स्वरूप :–

आयोग द्वारा ओ0 एम0 आर0 आधारित परीक्षा **(OMR)**/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा **(CBT)** ली जायेगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। एक से अधिक समूहों में परीक्षा होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–

(क) परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किये जायेंगे। उक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(ग) मुख्य परीक्षा की अवधि एक घण्टे (कुल 60 मिनट) की होगी, जिसमें कुल– 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।

19. <u>परीक्षा का पाठयक्रमः</u>

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए॰एन॰एम॰) पद हेतु पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–XIV** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

20. <u>न्यूनतम अर्हतांक</u>

लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I)	अनारक्षित /आ॰क॰व॰	–	40 प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	–	32 प्रतिशत
(III)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1)	–	34 प्रतिशत
(IV)	पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2	–	36.5 प्रतिशत
(V)	आदिम जनजाति	–	30 प्रतिशत

परन्तु यह कि न्यूनतम पाँच वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामलें में न्यूनतम अर्हतांक संबंधी यह प्रावधान शिथिल रहेगा।

21. <u>मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :–</u>

लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इण्टरमीडिएट(10+2), तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्यानुभव के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) उपर्युक्त उप कंडिका–20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नवत् की जायेगीः–

क) **आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक** – 50 अंक (अधिकतम)

ख) **तकनीकी योग्यता (ए॰एन॰एम॰)** – 10 अंक (अधिकतम)

- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड – 10 अंक
- 60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड – 07 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड – 05 अंक

ग) **शैक्षणिक योग्यताः–** – 40 अंक (अधिकतम)

(a) मैट्रिक

- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड – 20 अंक
- 60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत अंक तक – 15 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड अथवा समकक्ष ग्रेड – 10 अंक

(b) इण्टरमीडिएट (10+2)

- 60 प्रतिशत एवं उससे उपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड – 20 अंक
- 60 प्रतिशत से कम अंक तथा 45 प्रतिशत अंक तक अथवा समकक्ष ग्रेड – 15 अंक
- 45 प्रतिशत से कम अथवा समकक्ष ग्रेड – 10 अंक

घ) झारखण्ड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए (पांच अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से) – 50 अंक (अधिकतम)

कुल प्राप्तांक = क+ख+ग+घ = 50+10+40+50 = 150

उक्त के आधार पर अधिकतम कुल 150 अंक देय होगा। गणना उपरान्त प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर मेधासूची गठित की जाएगी।

(ii) उपर्युक्त कंडिका–21 (i) में वर्णित अंकों के योग में अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा।

(iii) मेधासूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधासूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित

ResultBharat.com

वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(v) उपर्युक्त उप कंडिका (i) के आधार पर मेधासूची गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।
प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के अभ्यर्थी अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उनके आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधासूची से क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आयोग आमंत्रित कर सकता है।

(vi) परीक्षा के प्रश्न गलत प्रिटिंग होने की स्थिति में उक्त प्रश्न को रद्द करने अथवा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक प्रदान करने का फैसला आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

22. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–21 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

23. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता, सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

ResultBharat.com

परिशिष्ट–(XIV)

SYLLABUS FOR A.N.M.

Community Health Nursing

Concept of Health, Community Health practices, Health problems and policies, Health Organization, Role of Health team, Structure of Community, Rural community, Dynamics of Community, Community need assessment, Community methods & Media, Counseling, Community based Rehabilitation.

Health Promotion

A. ***Nutrition:*** Essential nutrients, Nutritional problems, Nutritional assessment, promotion of Nutrition.

B. ***Human body and Hygiene:*** The Human Body, Hygiene of the Body, Optimal functioning of the Body.

C. ***Environmental Sanitation*** – Environmental Sanitation, Safe water, Disposal of Excreta and Waste, Community participation.

D. ***Mental Health*** – Mental Health, Maladjustment, Mental illness, Old age care.

Primary Health Care

A. ***Infection and Immunization*** – Concept of Disease, Infection, Immunity and Body defense mechanisms, immunization, Collection of Specimen (Principles & Methods), Disinfection and Sterilization, waste Disposal.

B. ***Communicable Diseases*** – Introduction to Communicable diseases, Communicable diseases, Care in Communicable diseases, Epidemic Management.

C. ***Community Health Problems*** – Care of the Sick In the Community, Fever (Vital signs), Respiratory problems (Types & Classification), Aches and Pains (Nursing Management), Digestive problems, Urinary Problems, Cardiovascular problems (Signs & Symptoms), Diseases of the nervous system (Neurological problems, Metabolic diseases, Diseases of Musculo-skeletal system, care of Handicap.

D. ***Primary Medical Care*** – Types of Drugs, Administration of Drugs, Drugs used in minor ailments, Common Emergency Drugs

E. ***First Aid and Referral*** – Need for First Aid, Minor Injuries and Ailments, Fractures, Life threatening conditions.

ResultBharat.com

Child Health Nursing

Growth & Development, Nutrition of Infants and Children, Children's Rights, Care of the sick child, Care of School children, School Health, Care of Adolescents, Care of Adolescent girls

Midwifery

Human Reproductive System, Female Pelvis and Foetal skull, Foetus and Placenta, Normal Pregnancy, Antenatal Care, Normal Labour, Care during Normal labour, Normal puerperium, Care of New-born, High risk New-Born, Safe Mother-hood, High risk Pregnancies, Abnormalities of pregnancy, Abortion, Abnormal childbirth, Abnormal puerperium, Surgical Intervention, Medications used In midwifery, Life cycle approach, Status of women and empowerment, women Heath Problems, RTIs and STIs, HIV/AIDS, Infertility, Population Education, Family welfare.

Health Centre Management

The Sub-centre, Maintenance of Stock, Co-ordination, Implementation of National health programs, Update knowledge.